		हुक्म की में जा
12/6/24	अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित। आवेदन लगाकर गई अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थिया स्वयं उपस्थित नही हुए। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज किया जाता है पुनःस्थापन के लिए मुमाल होना। नम्बर पर कम है एवं वाद प्रकरण 147/2020 के साथ संलग्न की जावे। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	